—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 1/2024

उनवान

1. मनभर पत्नी फूलचन्द,
2. सुनील,
3. अनिल,
4. सुनीता,
5. अनिता पि0 फूलचन्द जाति रेगर नि0 लोहरवाडा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज

बनाम

1. कैलाश पुत्र ओमप्रकाश,
2. नौरती पत्नी ओमप्रकाश,
3. डाली पत्नी सीताराम,
4. गौरव पुत्र सीताराम ना.बा. जरियें संरक्षक माता डाली पत्नी सीताराम,
5. खुशी उर्फ राधिका पुत्री सीताराम ना.बा. जरियें सरंक्षक माता डाली पत्नी सीताराम, समस्त जाति रेगर नि0 लोहरवाडा, नसीराबाद,

6 राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—: अप्रार्थीगण :— 1 से 5 अनुपस्थित, 6 जरियें राज. पैरोकार

7. हरचन्द
8. फूलचन्द पि. केलाराम जाति रेगर निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद

——: प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 30/7/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा में स्थित खाता संख्या 939/417 किता 4 रकबा 2.32 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी मुतनाजा को हाल राजस्व अभिलेख में प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम हटाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम अंकित कर दिया, जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 व 7, 8 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम लोहरवाडा में स्थित खाता संख्या 939/417 किता 4 रकबा 2.32 अप्रार्थी संख्या 1, 2 स्वयं व 3 से 5 के पति/पिता के नाम 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पति/पिता के नाम सहखातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा को हाल राजस्व अभिलेख में प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम हटाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम अंकित कर दिया, जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। किन्तु प्रफोर्मा अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में कोई अनुतोष विरूद्व अप्रार्थीगण के विरूद्व प्राप्त करने के लिये निवेदन नही किया है। प्रार्थीगण के पति/पिता के नाम आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा अंकित है। उनके द्वारा कौन से इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण बताया है यह स्पष्ट नही है। आराजी मुतनाजा का साबिक राजस्व अभिलेख भी प्रककरण में प्रस्तुत नही किया है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम अंकित हिस्से को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार कोबिना किसर ठोस कारण पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 आराजी मुतनाजा के सहखातेदार है। आराजी मुतनाजा का साबिक राजस्व अभिलेख व उसकी स्थिति प्रकरण में स्पष्ट नही की गयी है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य व सुनवाई से ही तय किये जायेगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व न्ही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगणके पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

आदेश :– अतः ग्राम लोहरवाडा में स्थित खाता संख्या 939/417 किता 4 रकबा 2.32 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested